राजस्व लोक अदालत ( न्याय आपके द्वार –2018) कैम्प कोर्ट– सोनडी

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर**

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0 )

वाद सं0 : 211 सन 2018

अनवान :–

1. महेन्द्रसिह पुत्र हनुमान जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर।

**वादी**

**बनाम**

1. कलावती पत्नी हनुमान जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर।
2. गोपीराम पुत्र हनुमान जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर।
3. इन्द्रा पुत्री हनुमान जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

**प्रतिवादीगण**

**राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।**

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

**निर्णय दिनांक :– 10.05.2018**

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्व लोक अदालत " ( न्याय आपके द्वार – 2018" ) में पेश किया गया संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 655/621 के खसरा न0 660/2 की 0.6700हैक , 663/2 की 0.6450हैक , 669/2 की 0.7590हैक , 848/2 की 1.8210हैक 849/2 की 0.2020हैक कुल 4.0970हैक एवं खाता संख्या 656/620 के खसरा न0 571/2 की 1.9470हैक भूमि वादी के पिता हनुमान पुत्र फरसाराम जाति जाट खातेदार काश्तकार थे।वादी के पिता हनुमान पुत्र फरसाराम जाति जाट फोत हो चुका है जिसके जायज व कानूनी वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ही है।

वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा फरसाराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर उनके दो पुत्रों पर वाद भूमि औद हुई जिन्होने आपसी सहमति से खाता विभाजन करवाने पर वाद भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज हुई जिनका देहान्त हो गया है जिसके जायज वारिसान वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 है जो वाद भूमि के विरास्तन से हकदार है तथा प्रतिवादी संख्या 3 जो वादी की बहन है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में त्याग कर दिया है इसलिये वाद भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का 1/2 हिस्सा का हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी का वाद राजस्व लोक अदालत में पेश होने पर प्रतिवादीगण ने वादी के वाद को स्वीकार कर निवेदन किया की वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 ही हकदार है एवं प्रतिवादी संख्या 3 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में त्याग कर दिया है वाद भूमि वादी का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का 1/2 हिस्सा के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनो की ताईद में राजीनामा पेश किया ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तु रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि वादी के पिता हनुमान पुत्र फरसाराम के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो गया है जिनके जायज व कानुनी वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 है जो मृत्यू प्रमाण पत्र एवं वारिस प्रमाण पत्र से साबित है वादी के पिता हनुमान के देहान्त होने पर वाद भूमि के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 है जो विरास्तन से भूमि प्राप्त करने के अधिकारी है वादी का कथन है कि प्रतिवादी सख्या 3 ने अपने हकों का त्याग वादी के पक्ष में किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार कर राजीनामा पेश किया जा चुका है

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार करने के कारण वाद वादी काबिल डिक्री है।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौज सोनडी के खाता सख्या 655/621 के खसरा न0 660/2 की 0.6700हैक , 663/2 की 0.6450हैक , 669/2 की 0.7590हैक , 848/2 की 1.8210हैक 849/2 की 0.2020हैक कुल 4.0970हैक एवं खाता संख्या 656/620 के खसरा न0 571/2 की 1.9470हैक भूमि जो हनुमान पुत्र फरसाराम के नाम से दर्ज है के वादी अकेला 1/2 हिस्सा एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु 500/- अखरे रूपये पाचं सौ का स्टाम्प इजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 02.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार - 2018 " में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

शिविर प्रभारी
राजस्व लोक दालत--2018
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )
नोहर ( हनुमानगढ )
कैम्प कोट-सोनडी

# पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी )

राजस्व लोक अदालत ( न्याय आपके द्वार –2018) कैम्प कोर्ट–सोनडी

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर**

**अज अदालत :– सैयद शीराज अली जैदी ( आर.ए.एस)**

अनवान :–

1. महेन्द्रसिह पुत्र हनुमान जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर।

वादी

**बनाम**

1 कलावती पत्नी हनुमान जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर।
2. गोपीराम पुत्र हनुमान जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर।
3. इन्द्रा पुत्री हनुमान जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर।
4 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**राजस्व वाद संख्या 09 सन 2018 निर्णय दिनांक–02.05.2018**

आज यह वाद राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में मुझ सैयद शीराज अली जैदी उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौज सोनडी के खाता सख्या 655/621 के खसरा न0 660/2 की 0.6700हैक , 663/2 की 0.6450हैक , 669/2 की 0.7590हैक , 848/2 की 1.8210हैक 849/2 की 0.2020हैक कुल 4.0970हैक एवं खाता संख्या 656/620 के खसरा न0 571/2 की 1.9470हैक भूमि जो हनुमान पुत्र फरसाराम के नाम से दर्ज है के वादी अकेला 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु 500/– अखरे रूपये पाचं सौ का स्टाम्प इजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

निर्णय आज दिनांक 10.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

शिविर प्रभारी
राजस्व लोक दालत–2018
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )
नोहर ( हनुमानगढ )
कैम्प कोट–सोनडी